निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

दिनांकः–01.11.2021

प्रकरण संख्या – 201/2021

अनवान

कंकुबाई उर्फ झमकु पत्नि नाना लाल जाति पूर्बिया उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

----वादिया

।। बनाम ।।

1. शंकरलाल पिता वालू जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. भगवानी पत्नि वालू जी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ

----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने एक वादपत्र आदेश 07 नियम 01,02 जा0दि0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

1. यह कि वादिया के स्वामित्व, आधिपत्य, उपयोग–उपभोग एवं कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजीयात ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना तहसील भदेसर में निम्न प्रकार अवस्थित हैः–
परिशिष्ठ अः– खाता संख्या 183 पर दर्ज आ.नं. 368 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ.नं. 372 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आ.नं. 378 रकबा 1.71 हैक्टेयर, आ.नं. 395 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.नं. 407 रकबा 0.57 हैक्टेयर, आ.नं. 417 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आ.नं. 420 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर कृषि भूमि
परिशिष्ठ बः– खाता संख्या 115 पर दर्ज आ.नं. 408 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 412 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आ.नं. 418 रकबा 0.95 हैक्टेयर, आ.नं. 419 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

परिशिष्ठ सः- खाता संख्या 109 पर दर्ज आ.नं. 546 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आ.नं. 559 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आ.नं. 560 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आ.नं. 561 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 562 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 568 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 575 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आ.नं. 607 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ. नं. 625 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज रेकार्ड है।साक्ष्य में नकल जमाबंदी साबिक एवं नवीन, नक्शा ट्रेस, मिलानशीट तथा विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

2. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 के परिशिष्ठ अ,ब,स में वर्णित कृषि आराजीयात के साबिक आ.नं. 49 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आ.नं. 50 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, आ.नं. 54 रकबा 6 बिस्वा, आ.नं. 59 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आ.नं. 60 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, आ.नं. 61 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आ.नं. 62 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आ.नं. 92 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आ. नं. 111 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आ.नं. 113 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, आ.नं. 115 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आ.नं. 237 रकबा 19 बिस्वा, आ.नं. 267 रकबा 14 बिस्वा, आ.नं. 269 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ.नं. 270 रकबा 2 बिस्वा, आ.नं. 271 रकबा 2 बिस्वा, आ.नं. 272 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ.नं. 277 रकबा 1 बिस्वा, आ.नं. 286 रकबा 16 बिस्वा, आ.नं. 308 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा दर्ज रेकार्ड रही है।

3. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पति वालू पिता देवा गाडरी निवासी गाडरियावास का बनने वाला सम्पूर्ण 1/20वां हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिल एवज 80000 रू0 में दिनांक 03.09.2007 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। वादिया द्वारा खरीदी गई आराजीयात का नामांतरकरण भी वादिया के पक्ष में निर्णित हुआ एवं राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया तभी से वादिया खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर बहैसियत मालिक उपयोग उपभोग कर रही है।

4. यह कि वादिया अपने क्रयशुदा हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज चली आ रही थी कि राजस्व कर्मचारियो ने सेगरिगेशन के दौरान राजस्व रेकार्ड से वादिया का नाम विलोपित करते हुए विक्रेता वालू पिता देवा गाडरी के वारिसान के नाम 1/20वां हक हिस्सा दर्ज कर दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात पर ऋण लेकर रहन दर्ज करवा दिया है जबकि वादिया मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिससे वाद पत्र की कलम

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादिया को उक्त आराजीयात के 1/20वें हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा का पेश किया है।

5. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादिया द्वारा विक्रेता वालू से खरीद किये गये 1/20वें हक हिस्से वाल कृषि भूमि वालू की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण के खातेदारी में चली आ रही है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादीया को आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील करने पर आमादा हो रहे है तथा वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसके कयशुदा एवं कब्जेशुदा 1/20वें हक हिस्से वाली कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे एवं आराजीयात उनके नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रचलित की जावे।

6. यह कि वाद कारण वादिया द्वार पटवार हल्का से दिनांक 28.09.2021 को खाते की नकल प्राप्त करने से आराजीयात उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई उसी दिनांक से पैदा हुआ जो निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र की चरण सं. 01 में वर्णित परिशिष्ठ अ, ब, स में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादिया को 1/20वें हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे एवं उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से वादिया द्वारा खरीद किये गये 1/20वें हक हिस्से वाली कृषि भूमि में वादिया के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं वर्तमान में आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादीगण वादीया को आराजीयात से बेदखल कर आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील करने पर आमादा हो रहे है तथा वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिया को उसके कयशुदा एवं कब्जेशुदा 1/20वें हक हिस्से वाली कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे ना ही उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे एवं

उपखण्ड अधिकारी भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

आराजीयात उनके नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर आराजीयात अन्य को रहन, बह, बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील नहीं करे अन्य दाद जो न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। वादिया द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत केम्प कुंथना में उपस्थित होकर वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया। वाद के समर्थन में वादिया की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियावास संवत् 2065-2068
2. नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियावास संवत् 2076
3. नकल विक्रय पत्र की फोटो प्रति 03.09.2007
4. नकल मिलान क्षैत्रफल मौजा गाडरियावास

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के अंतर्गत कुंथना शिविर में तलब की जाकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। मनन किया गया। उपरोक्त आराजीयात पर वादिया खरीद दिनांक 03.09.2007 से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रही है। परंतु राजस्व अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश एवं वादिया को सूचित किये बिना ही वाद पत्र में वर्णित परिशिष्ठ अ,ब एवं स में से वादिया के खरीदशुदा 1/20वें हक हिस्से के रेकार्ड से वादिया का नाम विलोपित करते हुए वादिया की कयशुदा आराजीयात को तत्कालीन खातेदार वालू जिससे वादिया उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विकय पत्र से खरीदा था के वारिसान जो कि प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 है के नाम दर्ज कर दिया। जबकि वादिया वर्तमान में भी अपने 1/20वें हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अतः ग्राम गाडरियावास के परिशिष्ठ अ,ब एवं स में से 1/20वें हक हिस्से की कृषि भूमि को वादिया के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेज एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 03.09.2007 के आधार पर वाद वादिया डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना के परिशिष्ठ अः- खाता संख्या 183 पर दर्ज आ.नं. 368 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ.नं. 372 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आ.नं. 378 रकबा 1.71 हैक्टेयर, आ.नं. 395 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.नं. 407 रकबा 0.57 हैक्टेयर, आ.नं. 417 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आ.नं. 420 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर, परिशिष्ठ बः- खाता संख्या 115 पर दर्ज आ.नं. 408 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 412 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आ.नं. 418 रकबा 0.95 हैक्टेयर, आ.नं. 419 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

2.58 हैक्टेयर, परिशिष्ठ सः- खाता संख्या 109 पर दर्ज आ.नं. 546 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आ.नं. 559 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आ. नं. 560 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आ.नं. 561 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 562 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 568 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 575 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आ.नं. 607 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 625 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर में 1/20वें हक हिस्से की भूमि वादिया के नाम सेगरीगेशन से पूर्व खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी को राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजीयात में वादिया कंकुबाई का नाम विलोपित करते वादिया की खरीदशुदा आराजीयात को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। जबकि वादिया वर्तमान में अपने खरीदशुदा 1/20वें हिस्से पर खरीद दिनांक से ही काबिज होकर काश्त कर रही है। अतः मौजा ग्राम मौजा ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कुंथना के परिशिष्ठ अः- खाता संख्या 183 पर दर्ज आ.नं. 368 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ.नं. 372 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आ.नं. 378 रकबा 1.71 हैक्टेयर, आ.नं. 395 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.नं. 407 रकबा 0.57 हैक्टेयर, आ.नं. 417 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आ. नं. 420 रकबा 0.42 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 4.22 हैक्टेयर, परिशिष्ठ बः- खाता संख्या 115 पर दर्ज आ.नं. 408 रकबा 1.00 हैक्टेयर, आ.नं. 412 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आ.नं. 418 रकबा 0.95 हैक्टेयर, आ.नं. 419 रकबा 0.57 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर, परिशिष्ठ सः- खाता संख्या 109 पर दर्ज आ.नं. 546 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आ.नं. 559 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आ.नं. 560 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आ.नं. 561 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 562 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आ.नं. 568 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 575 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आ. नं. 607 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आ.नं. 625 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 2.58 हैक्टेयर भूमि में से वादिया को 1/20वें हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner